348

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs. 5 INDIA FIVE RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs. 5 INDIA FIVE RUPEES

नि.-3692-I 16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :– ..../I/2016 निगरानी

देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिह (सिकरवार)
निवासी वार्ड क्रमांक 9 चौड़ा खरंजा
कैलारस तहसील कैलारस जिला मुरैना

–आवेदक

बनाम

चन्दन सिह पुत्र श्री उदय सिंह ठाकुर
निवासी कैलारस तहसील कैलारस जिला मुरैना

–अनावेदक

दिनांक 25-10-16 को श्री अशोक भार्गव अधि० द्वारा प्रस्तुत

Fee 25-10-16 SO

371 25-10-16

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 30.09.2016 न्यायालय तहसीलदार कैलारस प्रकरण क्रमांक 70/2015–2016/बी–121 चन्दन सिंह बनाम मध्य प्रदेश शासन

महोदय,

प्रार्थी/आवेदक की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

संक्षिप्त विवरण :–

25/10/16 (अशोक भार्गव)

1– यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अनावेदक चन्दन सिंह द्वारा विवादित सर्वे नम्बर 988/2 रकवा ए.115 हैक्टर के सीमांकन बावत् आवेदन पत्र तहसीलदार कैलारस के समक्ष प्रस्तुत किया। अनावेदक के आवेदन पत्र पर से विवादित सर्वे नम्बर

XXIX(a)-BR(H)-11

348

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3692-एक/16 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	